

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय(मध्य)
Ministry of Environment, Forests & Climate Change
Regional Office (Central Region)



जहाँ है हरियाली ।
वहाँ है खुशहाली ॥

केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलिगंज, लखनऊ-226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector 'H' Aliganj, Lucknow-226024 Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoeftrolko@gmail.com

पत्र सं० 8बी/यू.पी./06/24/2015/एफ.सी/962

दिनांक: 03.11.15

सेवा में,

प्रमुख सचिव(वन),
वन अनुभाग, 6वां तल,
बापु भवन, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

विषय : जनपद उन्नाव में उन्नाव-कानपुर राज्य मार्ग संख्या-58 के किमी० 3.100 से 15.800 के मध्य 4 लेनिंग चौड़ीकरण एवं साइकिल ट्रैक/सर्विस लेन के निर्माण में प्रभावित 22.606 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 2235 बाधक वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ : मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उ० प्र० का पत्रांक- 953/11सी, दिनांक- 02.11.2015

महोदय,

उपरोक्त विषय पर विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक- 25/14-2-2015-800(79)/2015, दिनांक- 27.07.2015 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विषयांकित प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के तहत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में प्रस्ताव को दिनांक- 16.09.2015 को आहूत की गयी क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक में शामिल किया गया था। क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक दिनांक-02.11.2015 में सशर्त स्वीकृति दी गयी थी। वांछित अभिलेख उपलब्ध करवा दिये गये हैं। अतः मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार जनपद उन्नाव में उन्नाव-कानपुर राज्य मार्ग संख्या-58 के किमी० 3.100 से 15.800 के मध्य 4 लेनिंग चौड़ीकरण एवं साइकिल ट्रैक/सर्विस लेन के निर्माण में प्रभावित 22.606 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 1981 बाधक वृक्षों (पूर्व में 2235 वृक्ष) के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:-


1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वनभूमि (22.606 हे० संरक्षित वन भूमि) के दुगुने अवनत वन भूमि अर्थात् 45.212 हे० (22.606x2= 45.212) पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जाएगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए० संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।

उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधिया प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या-एस०बी०-25230, कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), नई दिल्ली, लोधी काम्पलेक्स, में जमा की जाएगी। जिसके उपरान्त पावती की छायाप्रति, जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक/आर०टी०जी०एस०/एन०एफ०टी० (जो भी लागू हो) की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मद्दार विवरण अर्थात् एन०पी०वी०, क्षतिपूरक वृक्षारोपण, आस-पास वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।

[Handwritten signature]
3/11/15


3. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेंगे कि यदि एन.पी.वी. की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बड़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।
4. विधिवत् स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पीलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (forward) एवं पीछे (backward) उनकी दिशा (bearing) भी लिखनी होगी।
5. प्रयोक्ता अभिकरण को यदि आवश्यक हो तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्राविधानों के अन्तर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होगी।
6. प्रयोक्त अभिकरण द्वारा सड़क के दोनों ओर रिक्त स्थानों पर आई0आर0सी0 (IRC) के दिशा निर्देशों के अनुसार स्वयं के व्यय पर वृक्षारोपण किया जाएगा।

उपरोक्त शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत् स्वीकृति जारी की जायेगी। कृपया अपूर्ण परिपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित न की जाए। याचक विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण की कार्रवाई राज्य सरकार द्वारा तब तक नहीं की जायेगी जब तक वनभूमि हस्तान्तरण के विधिवत् आदेश भारत सरकार द्वारा जारी नहीं किये जाते।

भवदीय,

 3/11/15
 (बृजेन्द्र स्वरूप)
 (वन संरक्षक(के.))

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अतिरिक्त वनमहानिदेशक एफ.सी., पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली-110003.
2. निदेशक (आर0ओ0एच0क्यू0) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली-110003.
3. नोडल अधिकारी एवं वन संरक्षक, वन उपयोग वृत्त, अरण्य भवन, 17 राणा प्रताप मार्ग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल, कानपुर, उ0 प्र0।
5. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, उन्नाव, उ0 प्र0।
6. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, उन्नाव, उ0 प्र0।
7. श्री कमल मिश्रा, राजभाषा अनुभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
8. आदेश पत्रावली।


 3/11/15
 (बृजेन्द्र स्वरूप)
 (वन संरक्षक(के.))